म0 प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

मुख्यालय जहांगीराबाद भोपाल

फोन नं0– 0755–2678468, 2678402 ई–मेल– gmmarketing123@gmail.com,

क0/उपा0एवंमि0/धान परिवहन/5550/2016 भोपाल, दिनांक 10.10.2016

आदेश

इस कार्यालय के ज्ञाप क0/उपा0एवंमि0/गेहूँ परिवहन/5093/2016 भोपाल, दिनांक 23.09.2016 से फर्म मे0 रामेश्वरम ट्रांसपोर्ट कंपनी बल्देवबाग जबलपुर को विपणन संघ में परिवहन कार्य हेतु आगामी 10 वर्षो के लिए अपात्र घोषित करने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। जारी कारण बताओ सूचना पत्र निम्न बिंदु पर जारी किया गया :–

1. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा पत्र क0 6067/खाद्य/2007 भोपाल दिनांक 27.09.2007 से म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को विकेंद्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन हेतु नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। मे0 रामेश्वरम ट्रांसपोर्ट जबलपुर राज्य शासन की खाद्यान्न यथा गेहूँ धान एवं मक्का उपार्जन हेतु नोडल एजेंसी म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के जबलपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत द्वार प्रदाय योजना के परिवहनकर्ता भी थे, उनके जबलपुर जिले में अवैध गेहूँ परिवहन कार्य में सम्मिलित होने के कारण नोडल एजेन्शी म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा आदेश क0/परिवहन/2016–17/307 भोपाल दिनांक 14.06.2016 से मे0 रामेश्वरम ट्रांसपोर्ट जबलपुर को निगम के संपूर्ण कार्यक्षेत्र में आगामी 10 वर्षो तक कार्य करने से वाधित किया गया है।

जारी कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर फर्म द्वारा पत्र दिनांक 27.09.2016 से प्रस्तुत किया गया है, जिसमे फर्म द्वारा उल्लेख किया गया है कि म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा ब्लेक लिस्ट करने संबंधी आदेश को चुनौती देते हुए हमारे द्वारा माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की गई है। अतः प्रकरण माननीय न्यायालय मे विचारीधीन रहते हुए आपको कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार नही है। उचित मुल्य दुकानो के सेल्समेनो द्वारा सामग्री प्राप्त करने के बाद यदि कोई गडवडी की गई है तो उसके विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही/जांच कार्यवाही जारी है। इस प्रकरण मे भी माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा संबंधित उचित मूल्य दुकानो के सेल्समेनो से सामग्री की कीमत जमा करवाई जाकर जमानत दी गई है। अतः यह प्रकरण भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अतः प्रकरण विचाराधीन रहते हुए आपको कोई कार्यवाही करने का अधिकार नही है।

फर्म द्वारा समक्ष में यह अनुरोध किया गया कि म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन एवं म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ पृथक–पृथक संस्थाये हैं जिनके द्वारा पृथक–पृथक परिवहन हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं एवं दोनो संस्थाओ के पृथक–पृथक निविदा दस्तावेज एवं निविदा शर्ते होती हैं तथा दोनो संस्थाओ में पृथक–पृथक अनुबंध भी निष्पादित किये जाते है, फर्म द्वारा विपणन संघ द्वारा सौपे गये परिवहन कार्य को नियमानुसार एवं समय पर संतोष प्रद ढंग से संपादित किया गया है। ऐसी स्थिति में म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा फर्म को ब्लेक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही के आधार पर म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा ब्लेक लिस्ट किया जाना अवैधानिक एवं फर्म के मौलिक अधिकारो का हनन है। अतः फर्म के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही को नस्तीबद्ध किये जाने का अनुरोध है।

म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रदेश के अन्य जिलों के साथ–साथ जबलपुर जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2014–15 में उपार्जित धान/बारदाना के परिवहन हेतु एवं रबी विपणन वर्ष 2015–16 में उपार्जित गेहूँ /बारदाना के परिवहन हेतु निविदायें आंमत्रित की गई थी, जिसमें अन्य निविदाकारों के साथ–साथ मे0 रामेश्वरम ट्रांसपोर्ट जबलपुर द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई थी।

मे0 रामेश्वरम ट्रांसपोर्ट जबलपुर द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2014–15 में उपार्जित धान के परिवहन हेतु प्रस्तुत निविदा के तहत जबलपुर जिले के सेक्टर क्र0 2 सिहोरा एवं मझोली तहसील हेतु परिवहन दरें स्वीकृत की गई थी एवं रबी विपणन वर्ष 2015–16 में उपार्जित गेहूँ के परिवहन हेतु प्रस्तुत निविदा के तहत जबलपुर जिले के सेक्टर क्र0 02 पाटन हेतु परिवहन दरें स्वीकृत की गई थी। इसी प्रकार खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 मे उपार्जित धान एवं बारदाना परिवहन का कार्य एल–1 निविदाकार के द्वारा तत्समय अनुबंध नही किये जाने एवं धान उपार्जन कार्य प्रारंभ होने को दृष्टिगत रखते हुए त्वरित परिवहन हेतु रबी विपणन वर्ष 2015–16 में गेहूँ परिवहन हेतु स्वीकृत परिवहनकर्ता मे0 रामेश्वरम ट्रांसपोर्ट जबलपुर से उनके द्वारा दी गई सहमति अनुसार रबी विपणन वर्ष 2015–16 की स्वीकृत दरो पर खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 में जबलपुर जिले के सेक्टर क्र0 01 जबलपुर एवं सेक्टर क्र0 02 पाटन में धान परिवहन का कार्य कराये जाने की अनुमति मुख्यालय पत्र क्र0/विपणन/स0मू0धान 15–16/7291/2015 भोपाल दिनांक 04.12.2015. (प्रदर्श 'ब') से दी गई थी।

मे0 रामेश्वरम ट्रांसपोर्ट जबलपुर राज्य शासन की खाद्यान्न यथा गेहूँ धान एवं मक्का उपार्जन हेतु नोडल एजेंसी म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के जबलपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत द्वार प्रदाय योजना के परिवहनकर्ता भी थे, उनके जबलपुर जिले में अवैध गेहूँ परिवहन कार्य में सम्मिलित होने के कारण म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा आदेश क्र0/परिवहन/2016–17/307 भोपाल दिनांक 14.06.2016 से मे0 रामेश्वरम ट्रांसपोर्ट जबलपुर को निगम के संपूर्ण कार्यक्षेत्र में आगामी 10 वर्षो तक कार्य करने से वाधित किया गया है।

अतः उभयपक्षीय कार्यवाही करते हुए श्री रीतेश अग्रवाल प्रोपाइटर मे0 रामेश्वरम ट्रांसपोर्ट कंपनी जबलपुर को जारी कारण बताओ सूचना पत्र, उनके उत्तर, निविदा दस्तावेज की शर्तो एवं म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा जारी किये गये आदेश का परीक्षण किया गया। परीक्षण मे पाया गया कि म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा प्रतिबंध अपने कार्यो के लिए ही लगाया गया है। म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा परिवहन कार्य हेतु पृथक से निविदाये आमंत्रित की जाती है, तथा सफल निविदाकारो से पृथक से अनुबंध किये जाते है तथा निविदा दस्तावेज की शर्ते भी पृथक रहती है, और न ही म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा ब्लेक लिस्ट किये जाने के आधार पर म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा फर्म को ब्लेक लिस्ट किये जाने संबंधी शर्त निविदा दस्तावेज मे है। ऐसी स्थिति में फर्म को म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा ब्लेक लिस्ट किये जाने का कोई वैधानिक आधार न होने के परिणाम स्वरूप .शिकायत के आधार पर की गई कार्यवाही नस्तीबद्ध की जाती है।

(बी0एम0शर्मा) 10/10
प्रबंध संचालक

D:\ray sir\letter 2015-16.docx

पृ0 क0/उपा0एवंमि0/धान परिवहन/5550/2016 भोपाल, दिनांक /0 10.2016

प्रतिलिपि :--

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0 भोपाल।
4. मुख्यलेखाधिकारी सहवित्तीय नियंत्रक, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल।
5. सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल। कृपया उक्त आदेश को संघ की बेबसाइट मे अपलोड करावें।
6. मंडल प्रबंधक, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, ————(समस्त)।
7. जिला विपणन अधिकारी, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, ——————————(समस्त)।
8. श्री रीतेश अग्रवाल प्रोपाईटर मे0 रामेश्वरम ट्रांसपोर्ट, बल्देव बाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

प्रबंध संचालक